

केन्द्रीय विद्यालय संगठन


(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)

क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून संभाग

सालावाला, हाथीबड़कला, देहरादून (उत्तराखण्ड)

वेबसाइट-<https://rodehradun.kvs.gov.in>

दूरभाष 0135-2749510 (DC)/2743192 (AC)
2746371 (AO)



E-Mail : ackvsroddr@gmail.com, acacadkvsroddr@gmail.com, aokvsroddr@gmail.com, aaokvsroddr@gmail.com

दिनांक: 13.04.2022

पत्रांक: एफ./Ref No. F 180333/2022-23/KVS (DDR) /

ई मेल द्वारा

प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय

अल्मोड़ा/एफ० आर० आई० देहरादून/

आई.आई.पी देहरादून/आई.एम्.ए. देहरादून/

आई.टी.बी.पी देहरादून (द्वितीय पाली)

गोपेश्वर/ हल्द्वानी (द्वितीय पाली)/ जोशीमठ/

आई.वी.आर.आई मुक्तेश्वर/पौड़ी गढ़वाल /

पिथौरागढ़/सौरखंड/खटीमा/ एस.एस.बी चंपावत/

केन्द्रीय विद्यालय, पौड़ी गढ़वाल

पावता सं- 18

दिनांक- 13/4/22

फाइल नं० 6-1


विषय: सत्र 2022-23 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ स्ट्रेंथ (कक्षाओं के बढ़ाने एवं घटाने) के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या एफ.110333/2022-23/के.वि.सं.मुख्या/शैक्षिक/देहरादून दिनांक 12.04.22 की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ स्वीकृति हेतु जारी किया जाने वाला Proforma-B आपको के.वि.सं. (मुख्यालय) से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रेषित किया जायेगा।

✓

भवदीया,

(मीनाक्षी जैन)
उपायुक्त

संलग्नक : यथोपरि



आजादी
अमृत महोत्सव

केन्द्रीय विद्यालय संगठन/KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18-संस्थागत क्षेत्र/18-Institutional Area
शहीद जीत सिंह मार्ग /Shahid Jit Singh Marg
नयी दिल्ली- 110016 /NEW DELHI - 110016
Tel: 011-26521841-260, 294
WWW.KVSANGATHAN.NIC.IN

एफ 110333 / 2022-23 / के0वि0सं0मुख्या0 / शैक्षिक / देहरादून / 220

दिनांक 12.04.2022

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
देहरादून संभाग (Dehradun Region)

विषय- सत्र 2022-23 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ स्ट्रेंथ (कक्षाओं के बढ़ाने एवं घटाने) के संबंध में।

नहोदया / महोदय,

उपर्युक्त, विषयक आपके पत्र संख्या एफ 180333 / 2021 / के.वि.सं. / डी.डी.आर. / 9262 दिनांक 13.12.2021 के संदर्भ में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय विद्यालयों में सेक्शन बढ़ाने एवं घटाने की अनुमति सत्र 2022-23 से प्रदान की जाती है।

क.सं.	के.वि. का नाम	सत्र 2022-23 के लिए कक्षाएँ / सेक्शन बढ़ाने एवं घटाने की अनुमति
1	FRI Dehradun	Decreased one section in class-VIII.
2	Gopeshwar	Sanctioned one section in class-XI(Sc.).
3	Pauri	Sanctioned one section in class-XI(Com.).
4	Khatima	Sanctioned one section in class-VIII.
5	IIP Dehradun	At present no change.
6	Haldwani (2 nd shift)	Decreased one section in class-VII.
7	Joshimath	Sanctioned 2 nd section in class-IV.
8	Pithoragarh	Decreased one section in class-X.
9	SSB Champawat	Sanctioned one section in class-VII.
10	Sourkhand, Tehri-Garhwal	Sanctioned one section in class-XI(Hum.).
11	ITBP Dehradun (2 nd shift)	No change.
12	IVRI, Mukteshwar	Sanctioned one section in class-XI(Sc.).
13	IMA Dehradun	Decreased one section in class-XI(Hum.) and sanctioned 2 nd section in class-XII(Hum.).
14	Almora	No change.

अन्य केन्द्रीय विद्यालयों के सेक्शनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कृपया संबंधित उपायुक्त स्टाफ स्वीकृति हेतु, स्टाफ स्वीकृति के मानदंडों के अनुसार पूर्णतः जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात् ही निम्नलिखित दरतावेज (Proforma-A & Proforma-B) निम्नलिखित प्रमाण पत्र (Certificate) के साथ इस कार्यालय को अग्रिम कार्रवाई हेतु अविलंब प्रेषित करें।

“It should further be certified that the calculations are strictly as per staffing norms and there is no deviation.”

- समेकित प्रोफॉर्मा-A (Consolidated Proforma-A)- duly signed by the Deputy Commissioner of the Region.
- आपके संभाग के अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ स्वीकृति हेतु जारी किया जाने वाला Draft Proforma-B(Soft copy in Excel format).
- इस पत्र के साथ संलग्न Excel Sheet में समेकित विवरण भी भरकर भेजे।

संबंधित उपायुक्त व्यक्तिगत रूप ध्यान दें एवं सुनिश्चित करें कि उपरोक्त डाटा/दरतावेज जो के.वि.सं. मुख्यालय में भेजे जा रहे हैं वे पूर्णतः सही हैं। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखें कि जिन-जिन केन्द्रीय विद्यालयों में एक समान कक्षाये हैं वहाँ पर पदों की संख्या भी नियमानुसार, यथासंभव समान होनी चाहिए।

संलग्नक: यथावत

भवदीया

(पल्लवी शर्मा)
उपायुक्त (शैक्षिक)